भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1889

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा उपाय और पथकर संग्रह

†1889. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में हो रहे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) निर्माण कार्यों के दृष्टिगत मानसून ऋतु से पहले सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्या सावधानियां और सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने केरल में चल रहे निर्माण कार्यों, धीमी गति से चल रहे यातायात और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सेवाओं की कमी के बावजूद, विशेष रूप से केरल के पलियेक्कारा और अरूर टोल प्लाजा पर जबरन पथकर वसूली पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो इन समस्याओं का शमन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का चल रहे कार्यों के पूरा होने तक पथकर वसूली को अस्थायी रूप से निलंबित करने का विचार है; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) मानसून शुरू होने से पहले, प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए यातायात प्रबंधन योजना सुनिश्चित की जाती है और संकेतक/डिलीनेटर (शंकु/ड्रम), बैरिकेड्स आदि लगाए जा रहे हैं। निर्माण क्षेत्र में जल निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डायवर्जन रोड/मौजूदा सड़क को यातायात के अनुकूल बनाए रखा जा रहा है। निर्माण क्षेत्र में जलजमाव को निकटतम जल निकास (आउटफॉल) तक पंप द्वारा निकाला जा रहा है। आउटफॉल के लिए जिला प्रशासन की मदद ली जा रही है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक मार्शल तैनात किए जा रहे हैं।

(ख) केरल के पलियेक्कारा और अरूर टोल प्लाजा सहित किसी भी टोल प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क (टोल) की जबरन वसूली नहीं की जा रही है। टोल संग्रहण प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के अनुसार किया जा रहा है।

त्रिशूर-अंगमाली-एडापल्ली 4-लेन परियोजना के लिए सरकार के राजपत्र संख्या का.आ.1424(अ) दिनांकित 20.06.2011 में प्रकाशित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के अनुसार, पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहित किया जाता है। शुल्क नियमानुसार, चार-लेन राजमार्ग के किसी खंड के लिए शुल्क की दर, छह लेन में उन्नयन से संबंधित कार्य के प्रारंभ होने से लेकर, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2013 के प्रारंभ होने की तिथि को लागू शुल्क का पचहत्तर प्रतिशत होगी, और परियोजना के पूरा होने तक, बिना किसी वार्षिक संशोधन के लागू रहेगी। हालाँकि, राष्ट्रीय राजमार्ग-544 के मामले में, ब्लैकस्पॉट्स के सुधार कार्य के अलावा कोई संवर्धन कार्य नहीं किया गया है।

एडापल्ली से अरूर खंड के लिए कुम्बलम टोल प्लाजा (अरूर के निकट) पर प्रयोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण के संबंध में, प्रयोक्ता शुल्क (टोल) केवल एडापल्ली से अरूर तक पूर्ण हो चुके खंड के लिए ही लिया जा रहा है।

(ग) सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों और अन्य समस्याओं पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करती है और सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए डायवर्जन के किनारे जल जमाव की निकासी सहित उन्हें तुरंत ठीक/समस्या का समाधान किया जाता है।

(घ) जी, नहीं। प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के अनुसार संग्रहित किया जा रहा है।

*****